



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032021-226011
CG-DL-E-19032021-226011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1167]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

No. 1167]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

का.आ. 1259(अ).—केंद्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड के साथ परामर्श करके स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ में दाखिल रोगियों के लिए (i) सफाई सेवाएं (स्वच्छता सफाई और धूल झाड़ना), (iii) सुरक्षा सेवाएं (देखभाल) और (ii) खानपान सेवाएं के संक्रम और कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन के संबंध में, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3161(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 12 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित की गई थी, के लागू होने से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) को इन शर्तों के अधीन रहते हुए (दिनांक 9 अक्टूबर 2020 से प्रभावी दो वर्षों की अवधि के लिए) छूट प्रदान करती है कि अस्पताल प्रबंध यह सुनिश्चित करेगा कि ठेका कर्मकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) नियम, 1971 के लिए 25 के उपनियम 2 के खंड (v) उपखंड (क) के निबंधनानुसार स्थापन में एक समान कार्य निष्पादित करने वाले न्यूनतम संदत्त नियमित कर्मकार के समान मजदूरी और अन्य सुविधाएं संदत्त की जाती है और बोर्ड को यह सुनिश्चित करने और जांच करने के लिए

स्थापन का निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि क्या ऐसे मजदूरी और फायदे स्थापन द्वारा प्रदान किए जाते हैं और पूर्वोक्त शर्त उसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

[फा.सं. एस-16014/29/2006-एल.डब्ल्यू]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2021

S.O. 1259(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970(37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby, exempts the Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER) from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 3161(E) dated the 12th December, 2014, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 12th December, 2014, in respect of employment of contract labour in the works and jobs of (i) sanitation services (cleaning, sweeping and dusting), (ii) security services (Watch and ward of the institute) and (iii) catering services to admitted patients in the Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh, for a further period of two years with effect from the date 9th October, 2020 subject to the conditions that the hospital management will ensure that the contract workers are paid wages and other facilities equal to the lowest paid regular worker performing similar work in the establishment in terms of sub-clause (a) of clause (v) of sub-rule (2) of rule 25 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1971 and the Board will have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are given and the above said conditions are implemented by the establishment.

[F. No. S-16014/29/2006-L.W.]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.